नंबर ...यायालय उपखण्ड ......अधिकारी...... कठूमर जिला अलवर

....2/49/2020.... तारीख रजू.......

भैरू बनाम गिर्राज वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को ज़र्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 886/1132 वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 27.07.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 27.07.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
27.7.20	कुछ कोरोना ... कारण Cont... पत्रावली दिनांक 23/2/21 को पेश हो।	
23/2/21	वकील प्रार्थी .... उपस्थित। अन्तरिम आदेश दिनांक 16.6.20 की पालना में पत्रावली वास्ते ... दिनांक 25/5/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार की तामील
23/11	पुकार, उपस्थित P.O. साहब ... अवकाश ... पत्रावली दिनांक 21/12/21 को पेश हो। [signature] पीठा.	
21/12/21	पत्रावली पेश हुई ... कैम्प कोर्ट व ... हुई। पक्षकार ... ... उपस्थित ... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं ... पत्रावली दिनांक 17/1/22 को न्यायालय ... पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
17/1/22	वकील प्रार्थी ... उपस्थित प्रार्थी ... की पालना ... बहस दिनांक 8/3/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8/3/22	पत्रावली आज मुलाहजा के वास्ते पेश हुई चूंकि प्रार्थी उप0 नहीं आया। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलाई गई कोई उप0 नहीं आया। अतः प्रार्थना-पत्र मय किस्म श्री वकील प्रार्थी के अदम पैरवी-अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ... आज खुले न्यायालय में सुनायी [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	